

प. बंगाल में वामपंथी सरकार के 1970 के दिनों से ही वोटर लिस्ट में हेराफेरी चुनाव प्रक्रिया का अंग बन चुकी है

ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कार फैक्ट्री के लिए भूमि अधिग्रहण को मुद्दा बनाकर वोटर लिस्ट की हेराफेरी की स्थापित व्यवस्था को बदल दिया था

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। सारी ज़िंदगी एक मजबूत और आक्रामक राजनीतिक लड़ाकू रही ममता बनर्जी इस बार खुद को सम्भवतः कुछ मुश्किल स्थिति में महसूस कर रही हैं। मतदाता सूची की जो गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है, वह ममता बनर्जी की जीत की रणनीति को सीधे चुनौती दे रही है। उनके वोट बैंक के कई बड़े हिस्से अब उजागर होने और हटाए जाने के खतरे में हैं।

चुनाव परिणामों पर एसआईआर का संभावित असर देखते हुए, ममता बनर्जी अब पूरी ताकत से इस पुनरीक्षण

- अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने लोकसभा में कई बार हल्ला किया था, पर, अब यही बांग्लादेशी उनकी वोटों की हेराफेरी के मुख्य आधार हैं।
- ममता बनर्जी के बाहुबली, जिनका चित्रण सोशल मीडिया पर बहुत विस्तार से देखा जा सकता है, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि विपक्ष को कोई मतदान न कर सके।
- इन बाहुबलियों को पूर्ण प्रशासनिक सहयोग मिलता है, इसीलिए ममता बनर्जी, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी न हो सके, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, करेंगी।
- एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बेचैन होती जा रही है।

प्रक्रिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही है और किसी तरह इसे रोकने के तरीके खोज रही है। लेकिन इसके लिये अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि

एसआईआर प्रक्रिया गति पकड़ चुकी है और काफी प्रभावी तरीके से चल रही है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां 1970 के दशक के मध्य

से सदैव ही होती रही हैं, जब से लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल में चुनावी प्रक्रिया पर दबदबा बनाया था। ममता बनर्जी ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी’

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए.) ने आज दावा किया कि जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर मोरे गये छापे के दौरान एके-47 राइफलें और अन्य हथियार व गोलाबारूद बरामद किए गए, जबकि अखबार के मालिकों ने इन आरोपों को निन्दा करते हुये इन्हें “डराने, बदनाम करने और अंततः चुप कराने की कोशिश” बताया।

अधिकारियों ने कहा कि अखबार और उसके संचालकों के खिलाफ दर्ज हुये एक केस के बाद, एसआईए की टीम ने अखबार के दफ्तर और कंप्यूटरों की

- कश्मीर टाइम्स ने समाचार पत्र के कार्यालय से हथियार बरामद होने के आरोप को बेबुनियाद बताया।

पूरी तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि छापे में एजेंसी ने एके राइफलों के कारतूस, कुछ पिस्तौल के राउंड और हैंड ग्रेनेड के पिन सहित, इसी प्रकार की कई अन्य चीजें ज़ब्त कीं। उन्होंने कहा कि प्रकाशन के संचालकों से पूछताछ की जा सकती है।

कश्मीर टाइम्स प्रबंधन ने अखबार के जम्मू दफ्तर पर छापे की कड़ी आलोचना की और राज्य-विरोधी गतिविधियों के आरोपों को एक स्वतंत्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में आजमाये गये फार्मूले को यू.पी. में दोहराने की तैयारी में है भाजपा

यू.पी. के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो स्वयं कुर्मी हैं, को बिहार में 25 सीटों पर कुर्मी मतदाता का मन व सोच जानने के लिए छोड़ा गया था

- यू.पी. में कुर्मी जनसंख्या बिहार से दोगुनी है, पर, कुर्मी और ईबीसी सपा का वोट बैंक रहे हैं।
- भाजपा इस वोट बैंक को अपने पक्ष में जोड़ने के लिए कुर्मी/ईबीसी मुख्यमंत्री बनाने का सोच रही है।
- वैसे भी कहा जाता है कि अमित शाह व मोदी पूर्णतः खुश नहीं हैं, योगी आदित्यानथ के काम करने के तरीके से।
- पंद्रह महीने बाद यू.पी. में भी विधानसभा चुनाव होंगे, पर, क्या आसानी से बिहार का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला यू.पी. में लागू कर लेगी भाजपा।

नवंबर को नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के शपथ लेने के बाद यह साफ़ होता जा रहा है कि (जदयू) नेता और भाजपा, दोनों ने अपनी राजनीतिक रणनीति सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पड़ोस के बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सोच-समझकर बनाई है। यूपी विधानसभा चुनाव अब सिर्फ 15 महीने दूर है और इन चुनावों ने भाजपा को दीर्घ अवधि की योजना को अभी से नया आकार देना शुरू कर दिया है।

पिछले एक साल से भाजपा ने अपने ज्यादातर राजनीतिक संसाधन बिहार पर लगाए हुए थे और पार्टी, जरूरत पड़ने पर, अकेले लड़ने की स्थिति के लिए भी पूरी तरह तैयार थी। इसके साथ ही, पार्टी नेतृत्व को पूरा भरोसा था कि केन्द्र में मोदी सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग को देखते हुए नीतीश कुमार अचानक अपनी

राजनीतिक दिशा नहीं बदलेंगे। एक अहम कदम उठाते हुये, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रचार अभियान के दौरान बिहार की जातीय गणित को करीब से देखने की जिम्मेदारी दी। बताया जाता है कि मौर्य, जो कुर्मी समुदाय के काफ़ी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, को लगभग 75 सीटों

की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां वे वोटर व्यवहार और ओबीसी मतदाताओं की चुनावी गतिविधियों और तौर-तरीकों की मॉनिटरिंग कर सकें।

उनकी तैनाती रणनीतिक थी: कुर्मी समुदाय, जो बिहार के ओबीसी वोटों का लगभग 9 से 10 प्रतिशत हिस्सा है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

थरूर ने अपनी पुस्तकों में मोदी की काफी आलोचना की है

किताबों के अनुसार, मोदी ने प्रजातंत्रीय ढाँचे को कमज़ोर किया है व देश की इकॉनमी को हानि पहुँचा रहे हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया भाषण की प्रशंसा करने के बाद, कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, खासकर केरल में, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन असली सवाल यह है: कांग्रेस नेतृत्व थरूर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि थरूर केरल की राजनीति में कांग्रेस की सेंटर-राइट स्पेस को बनाए रखने में मदद करते हैं? या फिर कांग्रेस उच्च नेतृत्व ऐसे समय में राज्य इकाई में खलबली नहीं मचाना चाहता, जब विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं।

थरूर की हालिया टिप्पणियाँ दिलचस्प विरोधाभास दिखाती हैं। अपनी किताबों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तो खा़ा हमला किया है, लोकतांत्रिक

- पर, हाल ही में उन्होंने मोदी को बधाई दी, उनके इकोनॉमिक सोच व सांस्कृतिक सामंजस्य बैठाने के लिए।
- पर, इस खुली प्रशंसा के बावजूद कांग्रेस थरूर पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही, क्या थरूर केरल में कांग्रेस को सेंटर “राईट” जगह बनाने में मदद कर रहे हैं, अपने उद्गारों से।
- या कांग्रेस केरल में चुनाव के पहले पार्टी में कुछ उथल-पुथल नहीं होने देना चाहती, थरूर को निकालित करके।

संस्थाओं को कमज़ोर करने का आरोप लगाया, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बात कही, और उन पर स्वयं को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। लेकिन कई मौकों पर उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की है, जैसे विरासत संरक्षण और वैश्विक प्रतिष्ठा के मामले में। कुछ समय पहले उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता

लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा की भी तारीफ की थी।

थरूर ने राजनीति में “नैपो किड कल्चर” की आलोचना करके पार्टी के समर्पित नेताओं को भी नाराज़ कर दिया है, जिसे गांधी परिवार पर परोक्ष हमले के रूप में देखा गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आतंकी ज्यादा खतरनाक होते हैं’

नई दिल्ली, 20 नवंबर। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों को देश की आजादी पर हमला और सरकार बदलने की सोची-समझी साजिश करार दिया और उमर ख़ालिद, शरजील इमाम समेत, कई एक्टिविस्ट्स की जमानत याचिकाओं का गुरुवार को कड़ा विरोध

- दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता की जमानत याचिका का विरोध किया।

किया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए धमाके का हवाला देते हुए कहा कि जब पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं, तो वे जमीनी कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लैपर्ड ने सिविल लाइंस में हड़कंप मचाया

गुरुवार की सुबह 9 बजे लैपर्ड मंत्री सुरेश रावत के घर व टाइनी ब्लॉसम्स स्कूल में घुसा

जयपुर, 20 नवम्बर। राजधानी के वीवीआईपी इलाके में गुरुवार सुबह लैपर्ड के आ जाने की सूचना पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद जयपुर के पॉश इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लैपर्ड आने की जानकारी लोगों को सुबह 9 बजे मिली। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मोबाइल के जरिए एक दूसरे को इस घटना की जानकारी दी और स्थानीय लोग अपने-अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर अंदर ही दुबके रहे। वहां स्थित स्कूलों में डर के चलते स्कूल प्रशासन ने छोटे-छोटे बच्चों को क्लास रूम में बंद कर दिया। लैपर्ड सुबह करीब 9 बजे सबसे पहले लेन नंबर 6 पर बने एक घर में घुसा और कुछ देर घूमने के बाद दीवार फांदकर मूवमेंट करता रहा। वीवीआईपी इलाके में लैपर्ड घुसने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग



जयपुर के वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस में गुरुवार को घुसा लैपर्ड बंगलों की दीवार के पीछे छुपता रहा।

लैपर्ड इलाके के एक से दूसरे घर में दीवार फांदकर मूवमेंट करता रहा। वीवीआईपी इलाके में लैपर्ड घुसने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग

- स्कूल प्रशासन ने छोटे बच्चों को क्लास रूम में बंद कर दिया। दो घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम लैपर्ड को ट्रैकुलाइज कर पाई।

देकर अपनी जगह बदलता रहा। लेकिन वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 11 बजे सिविल लाइंस की लेन - 6 से लेपर्ड को ट्रैकुलाइज कर लिया, जिसके बाद उसे झालाना रिजर्व ले जाया गया।

बताया जा रहा है कि वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस में राजभवन, सीएम आवास समेत, कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास हैं, जहां लेपर्ड की सूचना से हड़कम्प मचा रहा। दो घंटे बाद लेपर्ड को रेस्क्यू किए जाने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

पंजाब पुलिस ने लुधियाना में दो आतंकीयों का एनकाउंटर किया

लुधियाना, 20 नवंबर। लुधियाना में पंजाब पुलिस ने दो आतंकीयों का एनकाउंटर किया है, दोनों आतंकीयों के तार आतंकी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का है।पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन

- दोनों संदिग्ध लोग हैंड ग्रेनेड तय शुदा जगह फेंकने की फिराक में थे।

दोनों संदिग्ध लोगों को हैंड ग्रेनेड इकट्ठा करके तयशुदा जगहों पर फेंकने का काम सौंपा गया था। पुलिस ने समय रहते इन्हें धर दबोचा है। पुलिस ने मौके से हैंड ग्रेनेड, कुछ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार, एनकाउंटर की ये घटना लुधियाना शहर से बाहर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास हुई। अगर पकड़े जा जाते तो ये दोनों आतंकी किसी बड़ी घटना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 नवंबर। लाल किले के पास हुए विनाशकारी कार विस्फोट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, एक नाम इसके केन्द्र में उभरकर सामने आया है: डॉ. उमर उन-नबी (कुछ रिपोर्टों में उमर मोहम्मद), एक कश्मीरी डॉक्टर, जिन पर अब भारतीय एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक सॉफिस्टिकेटेड “वाइट-कॉलर” आतंकी मॉड्यूल का प्रमुख ऑपरेटिव होने का आरोप लगाया है।

सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लाल किले के पास

जिस दुहई आई-20 कार में धमाका हुआ, उसे उमर ही चला रहे थे। जांचकर्ता इस घटना को किसी हादसे की तरह नहीं, बल्कि कार से किए गए सुसाइड अटैक की तरह देख रहे हैं। फॉरेंसिक और डीएनए टीमें मलबे से मिले अवशेषों की पहचान की पुष्टि में लगी हैं।

डॉ. उमर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के कोइल गांव के रहने वाले हैं, जहां सुरक्षा बलों ने जांच के सिलसिले में उनका घर गिरा दिया। कई मीडिया स्रोतों के मुताबिक, उनका जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ था। वे उस पीढ़ी के पढ़े-लिखे कश्मीरियों में आते

- उन्होंने पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बम बनाने की प्रक्रिया सीखी तथा फरीदाबाद के मकान में उसका एक्सपैरीमेंट करते रहे।
- उमर के व्यक्तित्व का बहुत बारीकी से अध्ययन हो रहा है, यह जानने के लिए कि कैसे आतंकवादी विचारधारा डॉक्टरों के पढ़े लिखे दिमाग में स्थान बना रही है।
- जाँच एजेंसियाँ इस पूरे प्रकरण का वॉटर टाइट केस बनाने में तो जुटी हैं ही, पर, उनके समक्ष एक चुनौती यह भी है कि कैसे ऐसे मॉड्यूल्स को पहचानें और पनपने से पहले ही रोक लें।

हैं, जिनकी प्रोफेशनल पहचान अब उन

पर लगे गंभीर आरोपों के बिल्कुल

विपरीत है। उनका डॉक्टर बनने का सफर जम्मू-कश्मीर से शुरू हुआ, जहां उन्होंने एम.बी.बी.एस. किया और फिर श्रीनगर के गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज से एम.डी. किया। उन्होंने अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया और बाद में फरीदाबाद में अल-फलाह मैडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर शामिल हुए। फरीदाबाद में वे कॉलेज के पास एक साधारण किराए के कमरे में रहते थे, जिन्हें जानने वाले शांत और पढ़ने-लिखने में लगे रहने वाला व्यक्ति बताते हैं। अधिकारियों के अनुसार, उमर

अकेले काम नहीं कर रहे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वे डॉक्टरों, छात्रों और स्टाफ का एक ऐसा मॉड्यूल चला रहे थे, जो कथित तौर पर कट्टरपंथी था और जैश ए मोहम्मद (ऐ.ई.एम.) से जुड़ा हुआ था। नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों में डॉ. अदील अहमद राथर और डॉ. मुजम्मिल शाकिल शामिल हैं, जो दोनों कश्मीर के ही रहने वाले हैं।

जांच एजेंसियों का कहना है कि उमर ने फरीदाबाद में अपने कमरे में एक गुप्त लैब बनाई हुई थी, जहां वे विस्फोटकों पर प्रयोग करते थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वे पाकिस्तान में बैठे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली

पटना, 20 नवंबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ली, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 14, जनता दल यूनाईटेड

- इनमें भाजपा के 14, जदयू के 8, लोकजनशक्ति पार्टी के 2 तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा व हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के एक-एक मंत्री थे।

(जदयू) के आठ,लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के एक-एक मंत्री शामिल हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, के. पी. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

न्याय युक्त व्यवहार करना, सौंदर्य से प्रेम करना तथा सत्य की भावना को हृदय में धारण करके विनयशील बने रहना ही सबसे बड़ा धर्म है।
—डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

आधार जन्मतिथि, पता तथा नागरिकता का प्रमाण नहीं है, एसआईआर में इसका उपयोग मात्र पहचान सत्यापित हेतु है

बिहार चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आधार पर शान्तिपूर्वक भारी मतदान से चुनाव सम्पन्न हो गया। बिहार चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रारम्भ कर दी है। यह प्रक्रिया राजस्थान सहित 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में हो रहा है और 4 दिसम्बर 2025 तक पूरा होना है। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, तामिलनाडु, मध्यप्रदेश, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, अण्डमान-निकोबार व पाण्डुचेरी है। अनुमान है कि 12 राज्यों में कुल 50,99,72,687 मतदाताओं को शामिल किया जावेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 04.012.2025 मतदाता सूची तक डाफ्ट तथा फाइलदल मतदाता सूची दिनांक 09.02.2026 तक प्रकाशित हो जावेगी।

एसआईआर की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाईकोर्ट्स में कई याचिकायें पेश हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह मत प्रतीत हो रहा है कि जो पिटीशनर्स हाईकोर्ट्स में पेश हुई हैं, वे सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करा लें, अथवा हाईकोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करें। इस समय दो मुख्य याचिकायें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं और दोनों ही 26 नवम्बर, 2025 को सुनवाई पर लगी हैं। मुख्य याचिका W.C. (P) NO.640/2025 एसोसियेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एण्ड अन्य बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया है, इसके साथ कई पिटीशनर्स संलग्न की गई हैं तथा दूसरी पिटीशनें .P. (P) NO.634/2025 अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य हैं।

भारत के संविधान में कानून बनाने का अधिकार संसद तथा विधानसभा को दिये हैं। संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79, राज्यों की विधान सभाओं का अनुच्छेद 168, संघ की न्यायपालिका का गठन अनुच्छेद 124 में तथा राज्यों की विधानसभाओं का गठन अनुच्छेद 168 व उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 में किया गया है। ये सब इस प्रकार Statutory Bodies है। इसी प्रकार चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र Statutory Body है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चुनाव (निर्वाचन) के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का सम्पूर्ण अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। संसद, विधानसभा, न्यायपालिका की तरह यह अपने कार्यक्षेत्र में सुप्रीम है। चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र चुनावों के लिये चुनाव की मतदाता सूची तैयार करने, चुनावों के संचालन, निदेशन, नियंत्रण का है। इस प्रकार चुनाव आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है उसे चुनाव सम्बन्धित सभी कार्यों को सम्पादित करने का सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिया है। इस प्राकर यह भी स्पष्ट है कि मतदाता सूची कैसे तैयार की जावेगी, इस बाबत भी चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार है, इस प्रकार साधारण चुनाव मतदाता सूची व शुद्धिकरण के हेतु एसआईआर प्रक्रिया का भी उसे अधिकार है। चुनाव के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में एसआईआर का अधिकार चुनाव आयोग में निहित है।

अनुच्छेद 326 स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है कि मताधिकार वयस्क मताधिकार पर आधारित है और केवल उसे प्राप्त है जो भारत का नागरिक है। सभी पिटीशनर्स अनुच्छेद 32 के तहत हैं और पीआईएल है। वे कैसे नागरिक अधिकार के संरक्षण हेतु हो सकती हैं?

उपरोक्त प्रावधानों के अधीन संसद को चुनावों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 327 में दिया है। अनुच्छेद 329 में पुनः इसे स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के विषय में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित किया है। हाँ चुनाव विवाद चुनाव हेतु बनाये गये कानून के तहत केवल चुनाव पिटीशन के द्वारा किया जा सकता है। चुनाव पिटीशन सुनने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में खण्डपीठ के समक्ष पुनः पुनः यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि आधार कार्ड के आधार पर, व्यक्ति को मताधिकार दिया जाना चाहिये तथा यदि उसका नाम पूर्ववर्ती चुनाव नामावली मे आ चुका है तो उसे चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिये। इस संबंध में समाय-2 पर कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने दिये हैं, किन्तु चल्तेक बहस के समय वही बहस पुनः हो रही है। खण्डपीठ में सुनवाई जस्टिस सूर्यकान्त व जस्टिस जोमाल्या बागची कर रहे हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया के बाद नई लिस्ट पर बिहार के चुनाव हो चुके हैं। भारी मतदान हुआ है, जैसे पहले आज तक नहीं हुआ है। किसी भी पिटीशनर ने मतदान के समय किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मतदान केन्द्री पर नहीं की है। अभी भी कोई भी मतदाता अगर पी एक्ट 1951 के तहत कानून के अनुसार विजयी उम्मीदवार के विरूद्ध चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

यहाँ एक प्रश्न एसआईआर का है और दूसरा प्रश्न आधार कार्ड का है। एसआईआर पर उपरोक्त चरणों में लेखक ने अपने व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्त किये हैं। इस लेख के माध्यम से ‘आधार’ के विषय पर अब तक जो समीक्षायें न्यायालयों द्वारा की गई हैं, उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

पिटीशनर अश्विनी कुमार की पिटीशन पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब पेश कर अपनी भूमिका की विस्तृत जानकारी अभिव्यक्त की है।

चुनाव आयोग ने अश्विनी कुमार उपाध्याय के केस में अपना जवाब दावा पेशकर निवेदन किया है कि आधार कार्ड केवल व्यक्ति की पहचान को दर्शाता है वह न तो जन्मतिथि की सत्यता का प्रमाण है और न उसके आधार पर मतदाता सूची में उसका नाम ही दर्ज किया जा सकता है तथा न उसका उपयोग मतदाता सूची में नाम काटने तथा जोड़ने हेतु हो सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) इस विवेचन को विशेष तौर स्पष्ट करती है। चुनाव आयोग ने संतोष कुमार दुबे सेक्रेटरी, चुनाव आयोग के शपथ पत्र जो उन्होंने केस के समर्थन में पेश किया है कहा है कि इलेक्शन लॉज (अमेण्डमेण्ट) एक्ट 2021 की धारा 23 में संशोधन कर, अभिव्यक्त किया है कि संशोधन की आवश्यकता इस हेतु थी कि कई जगह की चुनाव नामावली में एक ही व्यक्ति का नाम आने की असंगति को रोकना था। इसी आधार पर फॉर्म 6 भी संशोधित दिनांक 17.06.2022 को किया गया था। धारा 9 आधार अधिनियम 2016 भी इस बात को प्रमाणित करता है कि यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसके समर्थन में शपथ पत्र में बम्बई हाईकोर्ट के निर्णय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम यूआईडीआई (Criminal Petition No.3002 of 2002) का अग्रस्थ लिया है कि आधार जन्मतिथि की प्रमाणिकता का सबूत नहीं है। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख है कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने दिनांक 08.09.2025 के आदेश में जो बिहार एसआईआर की प्रक्रिया में पारित किया था या माना है कि उसका उपयोग केवल व्यक्ति पहचान का परिचायक है।

एसआईआर के आधार पर जब मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है तो स्पष्ट है, उससे सम्बन्धित विवाद अनुच्छेद 327 के अनुसार केवल चुनाव याचिका में ही उठाये जा सकते और यह निर्विद कानूनी व्यवहार है कि रिट याचिका के पेन्डिंग होने का इस पर कोई असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने केस कोलन जियम्मल (डी) एलआर बनाम रेवेन्यू डिवीजनल आफिसर व अन्य, 2025 लिव लॉ (एससी) 1108 में दिया है इसका प्रमाण है। इस केस में राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड बनाम कृष्णा कुमारी 2005 (13) एससीसी 151 को समर्थन हेतु रेफर किया है।

दिनांक 26 नवम्बर 2025 की पेशी के समय बहस पर उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं पर माननीय कोर्ट में विचार होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ यह करार दे सकती है कि मतदान का अधिकार केवल देश के नागरिक को ही है अन्य को नहीं तथा आधार केवल पहचान का परिचायक है, किन्तु नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नागरिकता तो संविधान के भाग-2 के प्रावधानों के अनुसार ही तय की जा सकती है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा ही विनियमन किया जा सकता है साथ ही चुनाव सम्पन्न होने के बाद चुनाव सम्बन्धित शिकायतों पर यानी मतदाता सूची की वैधता के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा चुनाव याचिका द्वारा ही हो सकता है।

यह निर्विवाद सत्य है कि संविधान के तहत गठित संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र में कर्तव्य के निर्वाहन के हेतु सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न (Sovereign) अधिकार प्राप्त है। पार्लियमेण्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपने कार्यक्षेत्र में काम करने का पूर्ण अधिकार है, वे कार्य में त्रुटियां कर सकते हैं, किन्तु उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के कई निर्णय बाद में बड़ी बैठ ने त्रुटिपूर्ण करार किये हैं। वन शक्ति आदेश को बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो इसी की व्यवस्था फिर से लागू करने वाले दिनांक 18.11.2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस विचाराधारा को प्रमाणिकता प्रदान की है। हाँ यदि ये संस्थान संविधान की मर्यादा के विरूद्ध कार्य करती हैं तो वह अधिकार शून्य होने से अमान्य कहा जा सकता है। फिर चुनाव आयोग के एसआईआर पर सुनवाई करने के अधिकार पर प्रश्न क्यों कर उठाया जा सकता है? एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची से सम्बन्ध रखती है, और मत सूची के बाबत Sovereign (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न) अधिकार चुनाव अयोग का है।

चुनाव आयोग के गठन को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुकी है, किन्तु यह विषय तो संविधान के संशोधन का है।

सत्यमेव जयते!

—अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

संपादकीय

देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून : राजस्थान ने रखी सामाजिक सुरक्षा की नई मिसाल

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 न केवल कानूनी दृष्टि से मजबूत है, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक स्तर पर भी यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर उभरा है



अरुण चतुर्वेदी

वर्तमान राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 न केवल कानूनी दृष्टि से मजबूत है, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक स्तर पर भी यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने दृढ़ता और स्पष्टता के साथ इसे आगे बढ़ाया है। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान अब छल, लालच, दबाव या विदेशी फंडिंग के सहारे कमजोर तबकों का धर्म परिवर्तन कराने वाली गतिविधियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील और भारतीय संविधान ने हर नागरिक को अपनी आस्था का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह निरंकुश नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सामाजिक शांति के दायरे में ही मान्य है। इसी संवैधानिक मूल भावना के अनुरूप राजस्थान का नया कानून तैयार किया गया है।इसकी शक्ति और कठोरता इसे सभी राज्यों से अलग बनाती है।

सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून में सजा का प्रावधान देश में सबसे अधिक कठोर है। जबकि या धोखे से धर्मांतरण कराने पर सीधे 7 से 14 वर्ष की सजा तय की गई है। यदि नाबालिग, महिला, दिव्यांग अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति को निशाना बनाया गया है तो सजा 20 वर्ष तक जा सकती है। सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में तो आजीवन कारावास का प्रावधान देश में पहली बार किया गया है। विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग करने वालों की संपति जब्त की जा सकेगी और सजा भी अत्यंत कठोर होगी। विवाह के बहाने धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ न्यायालय ऐसी शादी को अमान्य घोषित कर सकेगा। इन प्रावधानों ने यह विधेयक वास्तव में देश का सबसे प्रभावशाली और सबसे कठोर धर्मांतरण रोकने वाला कानून बना दिया है।

राजस्थान के संवेदनशील और जनजातीय क्षेत्रों में लंबे समय से धर्मांतरण की शिकायतें आती रही हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और अलवर जैसे जिलों में प्रलोभन, आर्थिक सहायता या सेवा की आड़ में जनजातीय समुदायों को प्रभावित करने के प्रयास कई बार उजागर हुए। समाज की यही पीड़ा आज एक मजबूत कानून के रूप में सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक अस्मिता के साथ खिलवाड़ को अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कानून की खासियत यह है कि यह केवल सख्ती के सहारे काम नहीं करता, बल्कि पारदर्शिता को भी पूरा महत्व देता है। यदि कोई व्यक्ति सचमुच अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है, तो उसे 90 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। धर्मगुरु को भी 60 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है।

पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होगी और यदि कोई आपत्ति आती है, तो उसका निस्तारण होने के बाद ही धर्म परिवर्तन मान्य माना जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धर्मांतरण स्वतंत्र निर्णय से हो, न कि किसी छिपे हुए दबाव या प्रलोभन की वजह से। इसी के साथ घर वापसी को इस कानून के दायरे से बाहर राखा गया है, ताकि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आस्था में

सुगमता से लौट सके। विधेयक को लेकर कुछ विरोधी दल इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश बताते हैं। लेकिन यह तर्क तब कमजोर पड़ जाता है, जब हम देखते हैं कि कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना है। यदि धर्मांतरण वास्तव में स्वेच्छिक है, तो कानून में निर्धारित प्रक्रिया उसका सम्मान करती है और उसे वैधता प्रदान करती है। लेकिन यदि किसी की स्वतंत्रता खरीदी, दबाई या डराई जा रही है, तो उसे रोकना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

देश के कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू हैं, लेकिन राजस्थान का यह कानून अपनी कठोरता, स्पष्टता और व्यापकता के कारण उनसे कहीं आगे है। यहां सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास का प्रावधान, विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग पर कड़ी सजा, विवाह-आधारित धर्मांतरण की वैधता की जांच आदि इसे देश का सबसे शक्तिशाली कानून बनाते हैं। यह स्पष्ट है कि राजस्थान ने केवल कानून नहीं बनाया, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी मानक स्थापित किया है। इस कानून से सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर कई सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। कमजोर समुदाय अब भय और लातच के दबाव में आने से बचेंगे। विदेशी

फंडिंग का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। जनजातीय क्षेत्रों में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें विफल होंगी। समाज में कृत्रिम विभाजन कम होंगे और सौहार्द बढ़ेगा। साथ ही, स्वेच्छिक धर्म परिवर्तन को अब एक स्पष्ट, सुरक्षित और निष्पक्ष प्रक्रिया मिलेगी।

निस्संदेह, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 राजस्थान की सामाजिक दृढ़ता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और संवैधानिक संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। यह देशवासियों को यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों, हमारी एकता और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए राज्य पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है।

राजस्थान ने इस कानून के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी रक्षा। और जब बात समाज की बुनियाद, उसकी आस्था और उसकी अस्मिता की हो, तब राज्य का हस्तक्षेप केवल उचित ही नहीं, बल्कि अनिवार्य हो जाता है। यह कानून आने वाले वर्षों में राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की सामाजिक संरचना को एक नए संतुलन की ओर ले जाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है।

अरुण चतुर्वेदी
अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग

राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं पुरातत्व के ज्ञाता “डॉ. एल.पी. टैसिटोरी”

डॉ. दुलीचंद मीना

इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में लुई द ईंडियन के नाम से प्रसिद्ध एल पी टैसिटोरी राजस्थानी भाषा के महत्व को स्वीकार करने वाले पहले विदेशी विद्वान थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा की मुक्त कंठो से इन शब्दों में प्रशंसा की:—

“मनै जित्तो प्रेम म्हाारी मातभासा इटालियन सूं है, उण सूं बेसी राजस्थानी सूं है, कारण इण में बळ है, तेज है, ओज है, मिठास है, अर आ बड परबाब भासा है।”

राजस्थान के इतिहासकारों में जो स्थान कर्नल टॉड का है, वही स्थान राजस्थान के साहित्यकारों में डॉ.लुइजि पियो तैसिटोरी का है। डॉ. तैसिटोरी का जन्म 13 दिसम्बर, 1887 को उर्डीने (इटली) में हुआ। उर्डीने में अपनी हाईस्कूल की पढाई पूरी करने के बाद तैसिटोरी ने फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने भाषा विज्ञानी ग्राजियाडियो एस्पाया एसकोली से प्रभावित होकर संस्कृत पाठ्यक्रम में दाखिला लिया तथा संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर पाओलो एम्पोलियो पावोलिनी के निर्देशन में “तुलसीदास की रामचरितमानस एवं वाल्मीकि रामायण” का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जिस पर उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। पहले यह शोध-प्रबंध इतालवी भाषा में तथा बाद में अंग्रेजी में ‘इण्डियन एंटीक्वेरी’ के दो भागों में प्रकाशित हुआ। प्राच्य भाषाओं के महान विद्वान डॉ.ग्रियर्सन डॉ.तैसिटोरी की प्रतिभा से

बहुत प्रभावित थे। उन्होंने भारत सरकार को भारतीय रियासतों के मध्यकालीन इतिहास तथा वीरगाथा काव्य के शोध हेतु डॉ.तैसिटोरी की सेवाएं प्राप्त करने की सिफारिश की। डॉ.ग्रियर्सन की सिफारिश पर ऐसियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा डॉ.तैसिटोरी को चारणी एवं ऐतिहासिक शोध सर्वेक्षण कार्य का अधीक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया। यूरोप में जब प्रथम विश्वयुद्ध के बादल मंडरा रहे थे तब डॉ.तैसिटोरी 12 मार्च, 1914 को नेपल्स से यूरोपियन जलयान ‘रोमां’ से रवाना होकर बम्बई होते हुए 11 अप्रैल, 1914 को कलकत्ता पहुँचे। वहाँ उन्होंने एशियाटिक सोसायटी को पत्र लिखकर राजपूताना में जाकर राजस्थानी भाषा का अध्ययन करने का आवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया। बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह के आमंत्रण पर तैसिटोरी जोधपुर होते हुए बीकानेर पहुँचे। वहाँ उन्हें पहले 04 महीने तथा बाद में एक वर्ष के लिए बीकानेर राज्य में रखा गया। महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें दरबार की लाइब्रेरी के काव्य व ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाने का काम सौंपा गया। राजस्थान व राजस्थानी भाषा के प्रति तैसिटोरी के रग-रग में प्रेम भरा हुआ था। उन्होंने डिंगल साहित्य की अपूर्व सेवा की।

उन्होंने डिंगल साहित्य की अमूल्य निधि ‘चवनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेस दासोत खिडिया जगारी कही’, ‘बेल क्रिसन रुक्मणी री’, ‘छन्द राव जैतसी रो’ का संपादन किया और एशियाटिक सोसायटी से उन्हें प्रकाशित करवाया। राजस्थानी भाषा की ढूंढाडी बोली के ग्रंथ कर कुंडरी कथा का इटालियन भाषा में अनुवाद कर संपादन किया। श्री तैसिटोरी ने अपभ्रंश, गुजराती व राजस्थानी भाषा का सांगोपांग अध्ययन किया जिसके आधार पर ‘प्राचीन पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण’ शीर्षक से एक शोध निबंध लिखा। जिसकी प्रशंसा में प्रसिद्ध

भाषाविद् डॉ.सुनीत कुमार चटर्जी ने लिखा है कि, पुरानी राजस्थानी, उच्चारण, रीति, रूपतत्व और वाक्य रीति के पूरे विचार के साथ तैसिटोरी की आलोचना ऐसी महत्वपूर्ण है कि इसे मारवाडी तथा भाषा-तत्व की बुनियाद यदि कहा जायें तो अत्युक्ति न होगी। डॉ नामवर सिंह ने इस निबंध का हिंदी में अनुवाद कर हिन्दी पाठकों के लिए सुरम्य बनाया है। डॉ.तैसिटोरी भाषा शास्त्री के साथ-साथ अपनी पुरातात्विक पारखी दृष्टि से ऐतिहासिक एवं पुरातत्वविद भी साबित हुए हैं। उन्होंने अपने अन्वेषण मे मृण मूर्तियाँ, प्रस्तर प्रतिमाओं, शिलालेखों व मुद्राओं का संठाह किया जो बीकानेर के राज्य संठाहालय में संग्रहित है। उन्होंने पुरातात्विक अवशेष रंगमहल, मालिखेडी, बड़ोपल, कालीबंगा व पीलबंगा आदि गांवों में खुदाई करके एकांक किए। इनसे हडप्पा सभ्यता के व्यापक फैलाव की झलक मिलती है। उन्हें पत्तल की खुदाई में सरस्वती की सोलंकी शैली की दो जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुईं। दोनों ही भारतीय शिल्पकला की दृष्टि से अद्वितीय है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हर्मन गोएट्ज ने उन्हें ‘मध्ययुगीन भारतीय शैली की सर्वोत्तम कृति’ माना है।

भारत आने से पूर्व डॉ.तैसिटोरी ने जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरी जी से संपर्क स्थापित कर लिया था। अपने गुरु को टैसिटोरी ने लिखा कि, “मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आपको आपके अर्पण कर दूँ।” जैनाचार्य श्री विजय धर्म सूरी जी के प्रभाव स्वरूप वे जैन धर्म की ओर उन्मुख हुए। जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रभाव स्वरूप उन्होंने मांसाहार से शाकाहारी भोजन ग्रहण करना शुरू किया तथा उन्होंने एक पत्र मे लिखा “इटली में जैन धर्म के बजाय बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय है, मैं भविष्य में जैन धर्म एवं दर्शन पर एक किताब लिखना चाहता हूँ जिससे यूरोप के लोग जैन धर्म को बेहतर ढंग से जान सकें।” उन्होंने ‘उपदेश माला’, ‘भववेराग्यशतक’, ‘इन्द्रिय

डॉ. टैसिटोरी अपने कार्यालय में, (फाइल फोटो)।

पराजयशतक’, ‘नासिकेतकी कथा’ व ‘पुण्याश्रवक कथा कोष’ का इटालियन भाषा में अनुवाद किया। बीकानेर के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री अगरचंद नाहटा के साहित्य संग्रह में डॉ.तैसिटोरी के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रहे हैं जिन्होंने उन्हें अपने भांजे जी हजारीमल बांठिया के माध्यम से राजस्थानी साहित्य को समृद्ध करने की निमोनिया हो तथा और उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया। बीकानेर के राजस्व मंत्री श्री जी.डी.रूडकिन अंत समय तक उनकी देखभाल करते रहे लेकिन अन्ततः मात्र 32 वर्ष की उम्र में 22 नवम्बर, 1919 को डॉ.तैसिटोरी का अपने सपनों और कल्पना की भूमि राजपूताना के बीकानेर में निधन हो गया।

बम्बई से इटली के लिए रवाना हो गए लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पूर्व ही उनका माता का देहान्त हो गया था। अब उनका इटली में रहना निरर्थक हो गया और जब माँ के निधन का वियोग कम हुआ तो पुनः राजपूताना के लिए रवाना हो गए तथा 05 नवम्बर, 1919 को बीकानेर पहुँचे। लम्बी और थका देने वाली यात्रा के दौरान तैसिटोरी को निमोनिया हो गया और उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया। बीकानेर के राजस्व मंत्री श्री जी.डी.रूडकिन अंत समय तक उनकी देखभाल करते रहे लेकिन अन्ततः मात्र 32 वर्ष की उम्र में 22 नवम्बर, 1919 को डॉ.तैसिटोरी का अपने सपनों और कल्पना की भूमि राजपूताना के बीकानेर में निधन हो गया।

—डॉ. दुलीचंद मीना, आर.ए.एस.

राशिफल शुक्रवार 21 नवम्बर, 2025			
	मेघ आपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।		सिंह घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
	वृष परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		कन्या परिवार में इन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।
	मिथुन अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।		तुला व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संचालित धन का उपयोग। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।
	कर्क परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना बननी।		वृश्चिक मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तित्व प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	कुंभ व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नैकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।		मीन नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

फर्जी निवेश वेबसाइट चलाकर 3500 करोड़ से अधिक की ठगी का पर्दाफाश

पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तीन लाख से अधिक लोगों को शिकार बनाया था

भरतपुर/जयपुर। भरतपुर पुलिस ने एक विशाल फर्जी निवेश नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस नेटवर्क ने देशभर के तीन लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों से 3500 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की थी। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे भारी मात्रा में संपत्ति जब्त की है।

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर दिगत आनंद के निदेशन में वृत्ताधिकारी भरतपुर शहर पंकज यादव, आईपीएस की गठित टीम ने यह प्रभावी कार्रवाई की। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब 12 नवंबर को थाना मथुरा गेट पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि एक फर्जी निवेश वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन क्रिप्टो करेंसी एवं विदेशी बाजारों (फॉरेक्स) में उच्च लाभ, बोनस और अतिरिक्त प्रलोभन का झांसा देकर लोगों से निवेश करवा रही थी। जांच में पाया गया कि यह कंपनी भारत में सेबी, आरबीआई, एमसीए या किसी भी सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं थी।



पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में संपत्ति जब्त की।

रूस का दावा, संचालन जयपुर से :- अनुसंधान के दौरान चौकाने वाले तथ्य सामने आए।

वेबसाइट खुद को 2016 से रूस में संचालित होना बताती थी, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया कि इसका

■ **पुलिस ने लगभग 40 लाख नकद, सोने के जेवर , 5 लगजरी वाहन और लगभग 40 लाख रुपये मूल्य की क्रिप्टो करेंसी जब्त की**

वास्तविक संचालन नवंबर 2022 में जयपुर से शुरू किया गया था। इस फर्जी नेटवर्क के निर्माण और संचालन की मुख्य भूमिका में संदीप सिंगर और रजत शर्मा नामक व्यक्ति पाए गए। वेबसाइट 47 लाख उपयोगकर्ताओं और 4.3 बिलियन डॉलर फंड प्रबंधन का झूठा दावा कर रही थी, जबकि वास्तविक जांच में लगभग 4.7 लाख उपयोगकर्ता सामने आए, जिनसे जमा की गई वास्तविक राशि 350

मिलियन डॉलर (लगभग 3100 करोड़ रुपये) निकली। यही समूह एक और फर्जी निवेश वेबसाइट भी चला रहा था, जिसके माध्यम से लगभग 9000 उपयोगकर्ताओं से 58 मिलियन डॉलर (500 करोड़ रुपये से अधिक) की ठगी की गई थी।

आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति जब्त :- भरतपुर पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से

लगभग 40 लाख रुपये नकद, सोने के जेवरत, 5 लगजरी वाहन और लगभग 40 लाख रुपये मूल्य की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। यह कार्रवाई अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 और बीएनएस की धाराओं के तहत की गई है। इस पूरी कार्रवाई में वृत्त कार्यालय भरतपुर शहर के कांस्टेबल सोनू मीना की विशेष भूमिका रही।

इस विशेष गठित टीम में एसआई मथुरा गेट बलराम यादव, एसआई हरगोपाल, थाना कोतवाली से एसएसआई चंद्रशेखर, सीओ सिटी कार्यालय से एसएसआई हिम्मत सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल सोनू मीणा, देवेंद्र सिंह, भरत, थाना साइबर से कांस्टेबल कुंवर पाल, थाना अटलबंध से कांस्टेबल अंकित, थाना कोतवाली से कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह एवं साइबर सेल भरतपुर की टीम शामिल थे, जिन्होंने यह बड़ी सफलता हासिल की।

प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू

बीकानेर, (निर्स)। शिक्षा विभाग की समान परीक्षा योजना के तहत गुरुवार से प्रदेशभर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नवीं से बारहवीं तक हाफ इयलीय परीक्षाएं एकसमान उत्तर-टेबल के साथ शुरू हो गईं। दो पारियों में चल रही इन परीक्षाओं में करीब 27 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। सुबह की पारी के बाद दोपहर डेढ़ बजे से दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। पहली ही दिन स्टूडेंट्स ने अनिवार्य अंग्रेजी का पेपर दिया, जबकि शुक्रवार को दूसवीं में विज्ञान और ग्यारहवीं-बारहवीं में हिन्दी का अनिवार्य पेपर होगा।

राज्यभर में पहली पारी 9:30 से 12:45 बजे तक आयोजित हुई, जबकि दूसरी पारी 1:15 से 4:30 बजे तक ली जा रही है। पेपर बोर्ड पैटर्न पर तैयार किए गए हैं और उन्हें सील-पैक तरीके से परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है।

- **दो पारियों में चल रही इन परीक्षाओं में करीब 27 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं**
- **क्लास 9 से 12 के लिए प्रदेशभर में एक ही पेपर, बोर्ड पैटर्न पर हो रहे हैं एजाम**

प्राइवेट स्कूलों को पेपर सोधे नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि सरकारी स्कूलों को नोटल एजेंसी बनाया गया है। अधिकृत व्यक्ति को ही परीक्षा से कुछ देर पहले पेपर उपलब्ध कराया जा रहा है। एक ही दिन, एक ही समय और एक ही पेपर से परीक्षा होने के कारण नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को बोर्ड जैसा अनुभव

मिल रहा है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य छात्रों को बड़े एग्जाम के लिए मानसिक रूप से तैयार करना है।

शहर के कई स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति देखने को मिल रही है। एक प्राइवेट स्कूल संचालक मनोज व्यास के अनुसार, 22 नवंबर और 30 नवंबर को बड़े पैमाने पर विवाह समारोह होने के कारण बच्चे घर से बाहर हैं। कई विद्यार्थी दो से चार पेपर तक मिस कर रहे हैं, जिससे टीचर्स ने परीक्षा की तारीख तय करते समय इस पहलू पर विचार न करने को लेकर विभाग पर सवाल उठाए।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय की ओर से आयोजित इस समान परीक्षा में इस बार 27 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों के लिए एक-समान पेपर प्रकाशित करवाए गए हैं।

बीकानेर, (निर्स)। यहां बीछवाल थाना क्षेत्र की एक आबासीय कॉलोनी में 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाला किशोरी का पड़ोसी है।

बीछवाल थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बिहार का रहने वाला परिवार मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा है। परिवार में पति-पत्नी, 10 साल का बेटा और 14 साल की बेटी है। पति-पत्नी एक फॅक्टरी में काम करते हैं। आरोप है कि 16 नवंबर को फैंक्ट्री की छुट्टी थी। पति-पत्नी घर का सामान लेने बाजार गए थे। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला अर्जुनराम किशोरी को जबनर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की आंखों में कुछ विकार है। पति-पत्नी घर पहुंचे तो बारदात का पता चला। किशोरी ने उन्हें बताया कि

आरोपी ने पूर्व में भी बार-बार उसके साथ दुष्कर्म किया है। परिजनों ने बीछवाल थाना पुलिस को रिपोर्ट दी तो पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर किशोरी का मेडिकल कराया गया। पुलिस ने अर्जुनराम को गिरफ्तार कर लिया है।

14 साल की युवती के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक की ओर से बार-बार दुष्कर्म किए जाने की गंभीर बारदात में पुलिस ने गुप्तचर तरीके से कार्रवाई की। परिजन पुलिस के पास पहुंचे तो मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अर्जुनराम को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महिलाओं पर अपराध संबंधी इस मामले में पुलिस ने इतनी गोपनीयता बरती कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर खेत में ड्रोन मिला

जैसलमेर, (निर्स)। जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर रामगढ़ नहरी इलाके के खेत में ड्रोन मिला है। सूचना मिलने के पश्चात पुलिस, वायुसेना और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

जानकारी के अनुसार रामगढ़ नहरी क्षेत्र में स्थित एक खेत में गुरुवार दोपहर ड्रोन मिला। स्थानीय किसान ने खेत में इसे देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस एएसआई प्रेमशंकर ने बताया कि हमें सूचना मिली की खेत में एक ड्रोन गिरा है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और ड्रोन के आसपास से भीड़ को हटाया। सूचना पर दोपहर 3 बजे भारतीय

वायुसेना और सेना की टीम मौके पर पहुंची। सेना से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना का यूएवी तकनीकी खराबी के कारण एक खेत में गिरा। यह यूएवी अपने नियमित अभ्यास उड़ान पर था, तभी इसमें तकनीकी समस्या आ गई। वायुसेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। ड्रोन ने जमीन पर गिरने के बाद कई फीट तक स्लाइड करते हुए मिट्टी में खिंचाव बनाए। इसके आगे वाला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पंख और पिछले हिस्से के फिन्स सुरक्षित हैं। ड्रोन किसी सर्विलांस, रिकॉर्डिंग या तकनीकी निगरानी मिशन में काम आने वाला मॉडल है।

बदमाशों ने युवक के सीने में गोली मारी

भीलवाड़ा, (निर्स)। अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे नंबर 48 पर रायला थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह नकाबपोश दो बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को लूट की नीयत से गोली मार दी। घटना उस समय हुई जब हंदौर निवासी मानसिंह (45) रायला थाना के पास सड़क किनारे शौच के लिए रुका था। इस दौरान पीछे से आए दो अज्ञात बदमाशों ने उससे मोबाइल, नकद राशि और बाइक छीने की कोशिश की। जब मानसिंह ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसके सीने में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से मानसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर रायला पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार

- **बदमाशों ने पहले मोबाइल, नकदी और बाइक छीने की कोशिश की**

के बाद गंभीर हालत में उदयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर एफएसएल टीम भी भीलवाड़ा से घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। शाहपुरा के एडिशनल एसपी, गुलाबपुरा सीओ और रायला थाना अधिकारी बछराज चौधरी ने टीम के साथ मौके का मुआयना किया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

हत्या का आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। गोगुन्दा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में छह माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 15 मई को दीपाराम, लक्ष्मण, गणेशलाल, पन्ना, गिता तथा केसरबाई निवासी कांड पुला नाल गोगुन्दा सभी बाइक पर गोगुन्दा जा रहे थे, जहां बीच रास्ते में लोगों ने दिपाराम व लखमराम उर्फ लक्ष्मण का रास्ता रोककर मारपीट कर तलवार से हमला कर दिया, जिससे दिपाराम की

मौत हो गई थी तथा लक्ष्मण घायल हो गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक गोपाल चंदेल के सुपरविजन में गोगुन्दा थानाधिकारी श्यामसिंह मय टीम ने तकनीकी अनुसंधान में मिले सांख्यों एवं मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी पप्पाराम पुत्र होमा निवासी नाल फला डामरावास गोगुन्दा को गिरफ्तार किया।

रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से 46.39 लाख की सायबर ठगी

शेयर मार्केट में रिटर्न का झांसा देकर ठगी की, पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत

अजमेर, (निर्स)। अजमेर में गुरुवार सायबर अपराधियों ने रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को ठगी का शिकार बनाया, शातिरों ने शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का लालच देकर 46 लाख 39 हजार रुपए ठगे। शातिर ठगों ने फेसबुक एड के जरिए संपर्क साधा और पीड़ित को फर्जी एप डाउनलोड करवाकर बैंकिंग जानकारी हासिल कर ली। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सायबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कराया है, पुलिस मामले की जांच बुट गई है।

सायबर थाना पुलिस के अनुसार चंद्रवरदाई नगर निवासी इप्तेखार अहमद सिद्दीकी रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। सिद्दीकी ने दर्ज मुकदमे में बताया कि फेसबुक पर शेयर बाजार को लेकर एक विज्ञापन देखा और उसमें हां

करने पर उसे व्हाट्सएप मैसेज मिला। मैसेज में दावा किया गया कि वह प्रतिदिन 10 से 30 प्रतिशत तक मुनाफा कमा सकता है। इसके बाद ठगों ने पीड़ित को यह कहते हुए फुसलाया कि यदि उसे शेयर मार्केट की समझ नहीं है तो वे उसे विशेषज्ञों के जरिए गाइड किया जाएगा। ठगों ने बातचीत कर झांसे में लेकर उनसे प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करवाया। ऐप डाउनलोड करने के बाद उनसे बैंक डिटेल्स और व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करवाने को कहा गया।

पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया,जहां रोजाना हाई प्रॉफिट स्कॉम और किया है। आरोपी ने फेसलता से स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते थे। इस पर

विश्वास कर उसने उनके बताए अनुसार अलग-अलग रुपए भेजने शुरू किए। 11 ट्रांजेक्शन के जरिए उससे 46 लाख 39 हजार रुपए विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगों ने उसे 11 अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क किया और चार संदिग्ध बैंक खातों में रकम डलवाई। जब पीड़ित ने मुनाफे की राशि निकालने का प्रयास किया, तो ऐप ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद ठगों ने सभी नंबर रिव्च ऑफ कर दिए। तब जाकर उसे ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित की शिकायत पर सायबर थाना पुलिस ने सायबर घोखाघड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच रामगंज थाना प्रभारी रवीश सामरिया को सौंपी गई है।

मंदबुद्धि महिला से दुष्कर्म करने वाले को गार्ड को आजीवन कारावास

न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया

अलवर, (निर्स)। अलवर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने मंदबुद्धि महिला से रेप करने वाले गार्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि “एक रक्षक ही भक्षक बन गया। इस अपराध की प्रकृति को देखते हुए सजा में नरमी का रुख अपनाया जाना उचित नहीं है।” न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला था।

सरकारी वकील सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि यह मामला अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र का है। महिला (50) एक संस्थान में रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। नवंबर 2024 में वहीं पर गार्ड की नौकरी कर

- **जज हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक रक्षक ही भक्षक बन गया, इस अपराध की प्रकृति को देखते हुए सजा में नरमी का रुख अपनाया जाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा**

रहे सुरेश मुंडा (50) ने महिला को अकेली दुकान उसके साथ रेप किया। सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि रेप करते हुए संस्थान के दूसरे कर्मचारियों ने देख लिया। गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला था।

सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट में यह तथ्य पेश किया गया कि आरोपी सुरेश एक दुर्घटना में गंभीर रूप

से घायल हो गया था। तब उसका इलाज भी इसी स्थान में रहकर हुआ था। जब वह ठीक हो गया तो उसे गार्ड की नौकरी दे दी गई।

यहां संस्थान में बेसहारा महिला और पुरुष रहते हैं। गार्ड का काम वहां रहने वालों की सुरक्षा करना है। इसके बावजूद सुरेश ने मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ रेप किया, जिसके कारण कोर्ट ने उसे सजा देने में नरमी बरतना उचित नहीं समझा और आजीवन कारावास के अलावा आर्थिक दंड से भी दंडित किया।

कोयला माफ़िया ने 20 बीघा चरागाह भूमि से हरे वृक्ष उखाड़े

- **बताया जा रहा है कि माफ़िया ने जेसीबी से 200 बीघा चरागाह में से लगभग 20 बीघा भूमि पर लगे विलायती बबूल के हरे वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया**
- **माफ़िया की मनमानी के कारण, ज़रूरतमंद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और असंतोष फैल रहा है**

हीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के आसीद क्षेत्र के बालापुर ग्राम में कथित तौर पर कोयला माफ़िया के बेखौफ़ इरादों ने सार्वजनिक चरागाह भूमि की हरियाली को नष्ट कर दिया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। बताया जा रहा है कि माफ़िया ने जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल कर 200 बीघा चरागाह में से लगभग 20 बीघा भूमि पर लगे विलायती बबूल (बम्बूल) के हरे वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया।

ग्रामीणों के अनुसार, यह अवैध गतिविधि यहीं नहीं रुक रही है और माफ़िया शेष चरागाह भूमि की हरियाली को भी नष्ट करने पर तुला हुआ है। स्थानीय लोगों ने माफ़िया को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी भी चेतावनी या विरोध को अनसुना कर रहा है। वहीं ग्रामीण ने बताया कि चरागाह भूमि हमारे पशुओं के लिए जीवनेरखा

है। माफ़िया ने खुलेआम पेड़ों को उखाड़ दिया है। विरोध करने पर भी वह नहीं रुक रहा, जिससे हमारी हरियाली पूरी तरह से नष्ट हो रही है।

मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब यह पता चला कि माफ़िया न केवल हरियाली को नष्ट कर रहा है, बल्कि ग्रामीणों को अपने आवारा पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए साधारण बाड़ (मेढ़/बाढ़) लगाने से भी रोक रहा है। ज़रूरतमंद आदमी, जिनके पशुओं को खुले में रखने की

समस्या है, उन्हें माफ़िया के इस कृत्य से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माफ़िया की मनमानी के कारण, ज़रूरतमंद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और असंतोष फैल रहा है। इस गंभीर स्थिति ने ग्रामीणों को स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि इतने बड़े संख्या में पेड़ों को उखाड़ने के बावजूद, अब तक माफ़िया के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।

बेटे की शादी से पांच दिन पहले पिता की हार्टअटैक से मौत

- **रिश्तेदारों के साथ जमकर डांस किया, थके तो कुर्सी पर बैठे, फिर नहीं उठे**

बीकानेर, (निर्स)। यहां बेटे की शादी से पांच दिन पहले पिता की हार्टअटैक से मौत हो गई। बेटे की शादी की खुशी में रिश्तेदारों के साथ पिता नाच रहे थे। नाचने के बाद वे थक कर कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठे-बैठे ही उनकी हार्ट अटैक आया और वहीं बेसुध हो गए। परिजन उनकी पीबीएम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने प्राथमिक तौर पर साइलेंट हार्ट अटैक से मौत होना बताया है।

घटना से कुछ देर पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे परिवार के साथ डांस करते दिखाए दे रहे हैं। डांस करने पर पूनमचंद थक गए तो उन्होंने नाचने से मना कर दिया, लेकिन

लोगों की फरमाइश पर फिर नाचने लगे। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रजापत ने बताया कि पूनम चंद प्रजापत (57) निवासी बंगलानगर के बेटे पंकज की 25 नवंबर को शादी होनी है। घर में मार्गलिक आयोजन में बहन-बेटियां और परिवार के सदस्य शामिल होने पहुंच गए। बुधवार को दोपहर करीब 1.30 बजे पूनमचंद घर में शादी की खुशी में चल रहे नाच-गाने में शामिल थे। उन्होंने

दस दिन तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद

बीकानेर, (निर्स)। यहां सर्दी बढ़ रही है लेकिन इस रफ्तार अगले कुछ दिनों तक थम सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगे दस दिन तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई है, साथ ही तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना भी है। बीकानेर में इन दिनों न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच है, वहीं अधिकतम पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ऐसे में आने वाले दस दिन तक कमोबेश इतना ही पारा रह सकता है। जिले के मौसम में तरह-तरह का असर दिख रहा है। सुबह और रात के तापमान में बड़ा अंतर सामने आ रहा है। सुबह दस बजे तक जहां 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहा, वहीं रात को ये

लगभग 16.3-17.4 तक मापा गया है, जो खराब श्रेणी में दर्ज होता है। पिछले लंबे अर्से से बीकानेर में एक्यूआइ बहुत ही खराब स्थिति को दर्ज करा रहा है, लेकिन इससे सुधार की फिलहाल कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। कोई प्रशासनिक प्रयास भी नहीं है।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
निविदा सूचना
विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल आपूर्ति हेतु निविदा जारी की गयी हैं, जिसका यूबीएन GSU2526GSOB000047 है, जारी की गई है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
राज.सं/व.र./सी/25/14196
वित्त निर्यंत्रक
BHARATPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, BHARATPUR
S. No.-Tech/BDA/2025-26/15964-75
Date :- 18-11-2025
EXPRESSION OF INTREST
Consultancy work for preparation of Detailed Project Report for Construction of BDA office building and staff quarters at Bharatpur
The Bharatpur Development Authority (BDA), Bharatpur Invites Proposal for Preparation Of Consultancy work for preparation of Detailed Project Report for Construction of BDA office building and staff quarters at Bharatpur Detailed of EOI, eligibility criteria schedule and condition can be seen on https://eproc.rajasthan.gov.in from dated 19.11.2025 04:00 PM to 01.12.2025 at 4:00 pm.
UBN No.01 : WQA25265LSOB000261
राज.सं/व.र./सी/25/14207
Executive Engineer BDA, Bharatpur
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER WATER RESOURCES CIRCLE AJMER
NO. 4179
E-NIT NO. 08/2025-26
Date: 13.11.2025
01 Bid are invited from interested bidders Upto 06.00 pm dated 11.12.2025 and technical bid will be opened on dated 12.12.2025 at 3.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in , http://sppp.raj.nic.in) of the state. The approximate value of the procurement is Rs. 148.07 Lacs.
NIB No. WRD2526A0524
UBN- WRD2526GSOB01523
DIPRIC/16921/2025
(Onkar Berwal) Superintending Engineer Water Resources Circle, Ajmer

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER WATER
RESOURCES CIRCLE AJMER

NO. 4179

Date: 13.11.2025

E-NIT NO. 08/2025-26

01 Bid are invited from interested bidders Upto 06.00 pm dated 11.12.2025 and technical bid will be opened on dated 12.12.2025 at 3.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajjasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state. The approximate value of the procurement is Rs. 148.07 Lacs.

NIB NO. WRD2526A0524	(Onkar Berwal)
UBN- WRD2526W50B01523	Superintending Engineer
DIPRC/16921/2025	Water Resources Circle, Ajmer



उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No.- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/201 - 203

Date:- 18/11/2025

ई-निविदा सूचना संख्या 58/2025-26

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय ड्रिकेट लाईनिंगिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत सदसवको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाईन ई निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यो की कुल लागत

रुपये 140.00 लाख (01 कार्य)

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की अवधि

19.11.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 09.12.2025 को सांयः 6.00 बजे तक

Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथि

19.11.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 09.12.2025 को सांयः 6.00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि

10.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. : ITU2526SLOB000335

अधिलेखी अतिरिक्त - प्रदा उदयपुर विकास प्राधिकरण

राज.सं/व.र./सी/25/14189

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY
Rawathbhatta Road, Kota -324021
Examination Department
No. - VMOU/Exam/ 2025/1269
Date:- 18/11/2025
Notice Inviting E-Tender of "Transportation of Confidential material and blank answer copies"
NIB No. 18 Date: 18-11-2025
University invites e-tender from the registered & reputed firms for "Transportation of Confidential material and blank answer copies" for University. The Estimated cost of the tender is Rs. 80.00 lacs. Tender will be available online from 20-11-2025 up to 01-12-2025 05:00 pm. on https://eproc.rajasthan.gov.in . Last date to fill tender online is 01-12-2025
Technical bid will be opened online on 02-12-2025 at 02:00 pm The bidders must send original D.D. of Tender form fees Rs. 2000/-, processing fees Rs. 1500/- and Bid Security DD for Rs. 160,000 last upto 01-12-2025 04:00 pm at the office of the undersigned. For further details, kindly visit websites www.vmou.ac.in , https://eproc.rajasthan.gov.in and www.sppp.raj.nic.in (UBN Number: VMU2526SLRC000021). If any corrigendum generated/occurred, then it will be uploaded only on the above mentioned websites.
Raj.Samwad/C/25/14194
Controller of Examinations

सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम से राजस्थान बनेगा जी.सी.सी. एक्सीलेंस हब

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदित हो चुकी है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को यहां जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करते हैं।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।

एनसीआर रीजन और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बढ़े औद्योगिक केंद्रों और बाजारों तक उपलब्ध करवा रही है। देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी सुगम बनाती है।

यह होगी आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अग्रुवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी। यह

- एनसीआर, डीएमआईसी के साथ कनेक्टिविटी से जीसीसी निवेशकों को बड़े औद्योगिक केन्द्र तथा बाजारों तक पहुंच मिलेगी
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के आवेदनों का निस्तारण भी त्वरित गति से होगा

अग्रुवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी। कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। वहीं, जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

100 अरब डॉलर का लक्ष्य

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है।

इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित

किया जाएगा।

जीसीसी स्थापना पर रिप्स का लाभ

इस नीति में जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट

इंसेंटिव के रूप में दी जाएगी। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेरोल सब्सिडी उपलब्ध दी जाएगी। यह सब्सिडी 10 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

तीन वर्षों तक किराये में छूट मिलेगी

किराए पर संचालित इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक किराए का 50 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। कर्मचारियों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ढाई करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष तक प्रतिपूर्ति पात्रतानुसार की जाएगी। इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ईसंटेबल, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पेटेंट, कॉपीराइट आदि की लागत पर 50 प्रतिशत सहायता, स्टॉप ड्यूटी एवं बिजली शुल्क पर छूट भी प्रदान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में देश में स्थित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरस में लगभग 1.9 मिलियन की वर्कफोर्स नियोजित थी, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में 64.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। वर्ष 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में 110 बिलियन डॉलर का योगदान अनुमानित है।

राजस्थान विधानसभा में विधायक अब करेंगे ‘‘डिजिटल हस्ताक्षर’’

वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने के बाद राजस्थान विधानसभा की डिजिटल यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ा

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजस्थान विधानसभा की डिजिटल यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किए जा रहे नवाचारों के तहत राज्य विधानसभा सचिवालय में होने वाली समितियों की बैठकों में माननीय सदस्यों की उपस्थिति अब आईपैड पर डिजिटल रूप से दर्ज होगी। पूर्व में यह उपस्थिति हस्ताक्षर मैनुयल ढंग से दर्ज किए जाते थे।

डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा एक एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। विधानसभा के उप सचिवों और समस्त सहायक सचिवों को इस एप्लीकेशन के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही विधान सभा के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देने के लिए एक बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है।

इसके अलावा विधानसभा की सभी समितियों की बैठकों के लिए



विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

बैठक दिवस पर आई पेड उपलब्ध कराने तथा दो समितियों के मध्य पेंसिल शेयर करने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। समिति की बैठक के पश्चात प्रतिदिन आईपैड पुनः विधानसभा सचिवालय में जमा कराने होंगे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान

- डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने एक एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है

विधान सभा के डिजिटलाइजेशन के तहत सभी 200 माननीय सदस्यों की सीटों पर आई पेड लगाए गए हैं और विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत ई-विधान एप्लीकेशन नेवा का उपयोग राजस्थान विधान सभा को डिजिटल बनाये जाने के लिए किया जा रहा है। इससे विधान सभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट्स, वीडियो आदि मीडिया अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक को अब सरलता से ऑन लाईन

उपलब्ध हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की विधान सभाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग कर राजस्थान विधान सभा सदन और सचिवालय को डिजिटल किया गया है। इससे पर्यावरण की रक्षा एवं समय की बचत के लिए विधान सभा और सचिवालय की कार्यवाही पेपरलेस गई है। ई-विधान ऐप एन्ड्रायड और आई.ओ.एस दोनों तरह के मोबाइल पर संचालित हो रहे हैं। नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयकों से सम्बन्धित जानकारी समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाइब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से सम्बन्धित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही राजस्थान विधान सभा का ई-बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। साथ ही अन्य कई नवाचार भी किये गये हैं।

जेडीए बताए पीआरएन के जोनल ऑफिस का कितना निर्माण कार्य हो चुका

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मानसरोवर स्थित पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक केन्द्र के भवन में पृथ्वीराज नगर का जोनल ऑफिस खोलने को चुनौती देने के मामले में जेडीए से एक सप्ताह में यह पूछा है कि जोनल ऑफिस के निर्माण की मौजूदा स्थिति क्या है, कितना निर्माण कार्य हो चुका है। जस्टिस महेन्द्र गोयल व बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को एसएस शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इससे पहले ही सुनवाई में खंडपीठ ने जेडीए से पूछा था कि वह इस ऑफिस को शिफ्ट करने का प्लान दें और बताएं कि इसे कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार को भी कहा था कि वह भी जोनल ऑफिस के लिए जेडीए को जगह मुहैया कराए। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने पीआरएन के जोनल ऑफिस के लिए वेस्टवे हाईट्स में 2624 वर्गमीटर जमीन आवंटित की। वहीं इस जमीन पर निर्माण के लिए वर्क आर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया गया। दरअसल इस पीआईएल में पत्रकार कॉलोनी के सामुदायिक भवन में जेडीए का जोनल ऑफिस खोलने को चुनौती दी है।

ऑक्शन खानों को परिचालन में लाने के लिए टाइम लाइन तय : पीयूष गोयल

केन्द्रीय खान सचिव ने जयपुर में एलओआईधारकों से बातचीत की

जयपुर (कासं)। केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए देश का माइनिंग सेक्टर नई उर्जा और गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगातार कानून कायदों को व्यावहारिक बनाने के साथ ही टाइमलाईन तय की गई है जिससे खानों की नीलामी के बाद खानों के परिचालन में लाने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि इसके लिए सरकारी स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए और एलओआई स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं।

केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल गुरुवार को आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआईधारकों से रुबर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों में एलओआई धारकों द्वारा जितनी जल्दी खानों को परिचालन में लाया जाएगा उतना ही अधिक लाभ खानधारकों को होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोत्साहन के प्रावधान किये गये हैं। गोयल ने राजस्थान में मेजर मिनरल माइंस के ऑक्शन और प्री एम्बेडेड खानों की ऑक्शन प्रक्रिया शुरू करने की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान माइनिंग सेक्टर से रेवेन्यू के क्षेत्र में भी अग्रणी



केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने गुरुवार को जयपुर में आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआईधारकों से बातचीत की।

प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने आवश्यक अनुमतियां प्रदान करने वाली संस्थाओं से व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की वहीं प्रीएम्बेडेड की तर्ज पर ही पुरानी नीलाम खानों को परिचालन में लाने के लिए राज्य सरकार स्तर से भी सहयोग और मार्गदर्शन पर जोर दिया। उन्होंने एलओआईधारकों से भी आवश्यक औपचारिकता पूरी करने में अनावश्यक देरी नहीं करने का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एलओआईधारकों से

संवाद कायम करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने बताया कि राजस्थान में 112 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। भविष्य में नीलाम होने वाले माइनिंग ब्लॉकों के नीलामी से पहले ही चरागाह, वन कन्वर्जन आदि इसी तरह की आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए ब्लॉक बनाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में एलओआई धारक अनावश्यक

परेशानियों से बच सके। श्री रविकान्त ने बताया कि इस वर्ष 21 ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है और 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों सहित 26 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विपुल और विविध प्रकार के खनिज संपदा वाला प्रदेश है। राज्य सरकार द्वारा माइनिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। नई खनिज नीति, एम. सेण्ड नीति के साथ ही प्रक्रिया को सरल

- भविष्य में नीलाम होने वाले माइनिंग ब्लॉकों के नीलामी से पहले ही चरागाह, वन कन्वर्जन आदि इसी तरह की आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए ब्लॉक बनाने के प्रयास किए जाएंगे : टी. रविकान्त

किया गया है। इसके साथ ही एलओआईधारकों को सहयोग व मार्गदर्शन के लिए अलग से सेल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एलओआईधारकों व संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं वहीं निरन्तर मोनेटरिंग की जा रही है। केन्द्रीय खान उप सचिव आशीष सक्सेना, पीसीएफ पीके उपाध्याय, अरुण प्रसाद, सदस्य सचिव सीया विजय एन, निदेशक माईंस महावीर प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव माईंस अरविन्द सारस्वत, उप सचिव राजस्थान, आईबीएस के अभय अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, एडीजी आलोक प्रकाश जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एलओआईधारकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कांग्रेस को सता रही रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की चिंता : अशोक परनामी

‘चुनाव हारने पर पहले कांग्रेस ईवीएम का राग अलापती थी, अब एसआईआर का राग अलाप रही’

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अनावश्यक विरोध पर तिखी प्रतिक्रिया दी। परनामी ने कहा कि कांग्रेस लगातार बुरी तरह हारती जा रही है, फिर चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर बिहार चुनाव। कांग्रेस का जनाधार लगातार बुरी तरह गिरता जा रहा है। कांग्रेस पहले ईवीएम पर राग अलापती थी, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम को छोड़कर अब एसआईआर पर राग अलापना शुरू कर दिया। हार के बाद कांग्रेसी नेता घबरा गए हैं, उन्हें उनके बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों की चिंता सता रही है।

उन्होंने कहा कि केवल विरोध करना, आंदोलन करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष को विकास के लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। ऐसे में मुद्दा विहीन कांग्रेस बेवजह जनता को भ्रमित करने का कामकर रही है।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आंदोलन करने की बजाए बिहार चुनाव में बुरी तरह हार की समीक्षा करनी चाहिए। जनता कांग्रेस के साथ नहीं, मोदी के साथ है, यह समझना चाहिए। राजधानी जयपुर में युवा कांग्रेस का तत्कालिक आंदोलन महज चंद मिनटों में समाप्त हो गया और फ्लोप शो शाबित हुआ। यह बताता है कि देश की जनता, युवा अब कांग्रेस के साथ नहीं हैं, ना ही कांग्रेस के बहकावे में आनी वाली है।



अशोक परनामी

परनामी ने एसआईआर को लेकर कहा कि एसआईआर का उद्देश्य केवल और केवल मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाने के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत मृतकों, प्रवासियों, गलत पते वालों और दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जाता है ताकि केवल पात्र मतदाता ही सूची में रह सकें।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आरोप लगाया कि एसआईआर से कांग्रेस को जो भय सता रहा है, वह नाम जुड़ने का नहीं, बल्कि कांग्रेस के फर्जी वोटरों के नाम कटने का है। कांग्रेस को पहले एसआईआर को पढ़ना और समझना चाहिए। एसआईआर से होने वाले नफा नुकसान को समझना चाहिए लेकिन कांग्रेस अपने नुकसान की चिंता कर रही है। एसआईआर अयोग्य मतदाताओं को हटाने और बढ़ती अनियमितताओं पर रोक लगाने का एक सशक्त माध्यम है।

परनामी ने कहा कि अशोक गहलोत भजनलाल सरकार के दो वर्षों के विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे

- ‘प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, इसलिए बेवजह जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस’

है। आज डबल इंजन सरकार राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, और आने वाले तीन सालों में विकसित राजस्थान के लिए आयाम स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि, गहलोत के कार्यकाल में पेपरलीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जबकि भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गहलोत 5 साल तक ईआरसीपी पर कुंडली मारकर बैठे रहे, जबकि भजनलाल शर्मा ने इस अमृत योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए और करीबन 7 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतारे, जबकि गहलोत ने निवेश के नाम पर जनता से धोखा किया। गहलोत पूरे 5 साल अपने ही लोगों से सरकार बचाने में लगे रहे, जबकि जनता की सेवा, विकास कार्यों को उन्होंने नजर अंदाज किया। गहलोत भ्रष्टाचार में आर्कट तक डूबे हुए और होटलों से सरकार चलाते रहे। अब भजनलाल शर्मा सरकार के जनकल्याण, जनहितैषी कार्यों को गहलोत पचा नहीं पा रहे हैं। प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक और भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची उपस्थित रहे।

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को ‘स्थानीयकृत जोखिम’ के रूप में मान्यता मिली

इसके साथ ही धान जलभराव को भी स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किया गया

जयपुर (कासं)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। मंत्रालय ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान और धान जलभराव को कवर करने के लिए नई प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को स्थानीयकृत जोखिम श्रेणी के पाँचवें ‘पेड-ऑन कवर’ के रूप में मान्यता दी गई है।

राज्य सरकारों जंगली जानवरों की सूची अधिसूचित करेगी तथा ऐतिहासिक आकड़ों के आधार पर अत्यधिक प्रभावित जिलों/लोबीमा इकाइयों की पहचान करेगी। किसान को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर फसल बीमा ऐप पर जियो-टैग फोटो के साथ दर्ज करनी होगी। इसे खरीफ 2026 से पूरे देश में लागू किया जायेगा।

इस प्रावधान का सबसे अधिक लाभ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड,

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी
- इस प्रावधान का लाभ तटीय, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को मिलेगा

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को होगा, जहाँ जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति एक प्रमुख चुनौती है। ज्ञात रहे कि देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण बढ़ते फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यतः वन क्षेत्रों, त्रों वन

गलियारों और पहाड़ी इलाकों के निकट बसे किसानों में अधिक देखी जाती है। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी।

ऐसे में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों की समस्या बढ़ और तकनीक-आधारित दावा निपटान का लाभ मिलेगा।

धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किए जाने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों जैसे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जहाँ जलभराव से धान की फसल का नुकसान हर वर्ष दोहराया जाता है।

आवकारी आयुक्त और वित्त सचिव आकर बताए इंटरनेशनल प्लेयर को क्यों नहीं दी नियुक्ति?

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि पैरालंपिक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता की नियुक्ति की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश निहाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा की गत सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से मामले में सकारात्मक निर्णय लेकर 2 सप्ताह में अदालत में जानकारी पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से तय अवधि में कोई जानकारी नहीं दी गई। याचिका में अधिकवक्ता तनवीर अहमद ने बताया की याचिकाकर्ता 26 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट है

- राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई

और 41 फीसदी लोकोमोटर दिव्यांग है। याचिका में कहा गया कि उसने एशियन पैरा गेम्स, 2023 और पैरिस पैरालंपिक, 2024 में प्रतिनिधित्व करते हुए कई विजय पैरा शूटिंग प्रतियोगिताओं में करीब 20 मैडल जीते हैं।

इनमें वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मैडल भी शामिल है। राज्य के खेल विभाग ने 29 सितंबर, 2023 को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत उसका ए श्रेणी में चयन करते हुए उसे सहायक आबकारी अधिकारी की साल 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति देने की सिफारिश की। इसमें कहा गया कि यदि पद रिक्त नहीं है तो पद का सुजन मान लिया जाए। इस पत्र को 11 अक्टूबर, 2023 को आबकारी विभाग को भेजा गया, लेकिन विभाग ने दिव्यांगों के लिए पदों की पहचान नहीं होने का हवाला देते हुए अब तक उसे नियुक्ति नहीं दी। याचिका में बताया गया की राज्य

दिव्यांग आयोग में आबकारी विभाग ने स्वीकार किया है कि बीते तीन सालों से दिव्यांगों के लिए कोई भी पद पहचान प्रक्रिया नहीं की गई है, यह भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और धारा 34 के साथ ही इस संबंध में साल 2018 में बनाए नियमों के खिलाफ है।

याचिका के अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के समान मामले में पूर्व में अन्य पैरा एथलीट अबनी लखेरा, सुंदर गुर्जर और देवेन्द्र झाझडिया को एसीएफ के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जबकि उस समय भी वह पद दिव्यांगों के लिए निर्धारित नहीं था। याचिकाकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, लेकिन अफसरों की उपेक्षा के कारण उसे आजौबिका और सम्मान से वंचित किया जा रहा है। जिस सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को हाज़िर होकर जवाब देने को कहा है।

भजनलाल पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए

बिहार/जयपुर, 20 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री एवं अन्य सदस्यों को मंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार के निर्माण में संकल्पित होकर कार्य करेगी तथा बिहार में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचन्द बैरवा तथा विधायक कुलदीप धनखड़ सहित, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। चित्र में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मंच पर उपस्थित थे।

डॉ. उमर उन नबी धुरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैंडलर्स से टेलीग्राम पर आए निर्देशों के अनुसार, बम बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने नैटवर्क के स्टॉक में अमोनियम नाइट्रेट, जो एक शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री है, को कई जगह जमा कर रखा था। अधिकारियों ने फरीदाबाद में लगभग 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, टाइमर और अन्य सामग्री बरामद करने का दावा किया है।

जांच में मिली सीसीटीवी फुटेज से एक सुराग मिला है: हंडई आई-20 को दिल्ली ले जाने से पहले अल-फलाह मैडिकल कॉलेज के परिसर में 11 दिनों तक पार्क किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उसके बाद उमर ने, शायद अपने साथियों की गिरफ्तारी और उस पर बढ़ते दबाव में हताश होकर यह हमला करने का फैसला लिया। एक अधिकारी के अनुसार, “उसने यह सब प्लान किया और अपने दोस्तों के अर्रेस्ट होने के बाद इसे अंजाम दे दिया।

एन.आई.ए. और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक रूप से उमर उन-नबी को रेड फोर्ट ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध बताया है और इस घटना को

आतंकी हमला घोषित किया है। हालांकि कई महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि उन पर किस स्तर तक नियंत्रण था, जे.ई.एम. हैंडलर्स से उन्हें कितना सीधा निर्देश मिला और क्या वे वास्तव में आत्मघाती हमलावार थे, अब भी जांच के दायरे में हैं।

जांचकर्ताओं का यह भी कहना है कि जिस डिवाइस में धमाका हुआ, वह संभवतः उन्हीं सामग्रियों से बनाया गया था, जो फरीदाबाद से बरामद हुई थीं। इससे एक जुड़े हुए टैरर नेटवर्क की कड़ियां और मजबूत होती हैं। अभी सुरक्षा एजेंसियां मॉड्यूल की फंडिंग, उसके ऑपरेशन की पहुंच और पूरी लॉजिस्टिक श्रृंखला की जांच कर रही हैं। एक अधिकारी के अनुसार, “यह घटना उसी घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिससे एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ।”

अगर आरोप प्रमाणित होते हैं, तो उमर का मामला भारत के पेशेवर डॉक्टर वर्ग में कट्टरपंथी होने के सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक होगा। एक कथित टैरर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में मैडिकल प्रैक्टिशनर्स का शामिल होना इस बारे में बड़े मुश्किल सवाल खड़े

करता है कि कैसे एक्स्ट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बहुत पढ़े लिखे, दिखने में सर्विस ओरिएन्टेड कम्युनिटीज में घुस सकती है। नई दिल्ली की एजेंसियों के सामने चुनौती न सिर्फ अदालत में टिकने वाला मजबूत मामला बनाने की है, बल्कि उन्हें यह भी तय करना है कि भविष्य में ऐसे वाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल को कैसे पहचाना और रोका जाए। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर हैं कि जांचकर्ता डॉ. उमर उन-नबी की पूरी कहानी को कैसे जोड़ते हैं।

‘पढ़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजु ने कहा कि अब डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक ट्रेंड बन गया है। उन्होंने शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में दिखाये। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए भी दिखाया गया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नीतीश कुमार के पारंपरिक समर्थन का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाजपा की उत्तर प्रदेश रणनीति इसी जनसांख्यिकी (डैमोग्राफी) पर टिकी हुई है। यूपी में कुर्मी वोटरों की संख्या बिहार की तुलना में लगभग दोगुनी है, और कई जिलों में यह समुदाय, दूसरे ओबीसी और ईबीसी समुदायों के साथ, पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है।

अब भगवा पार्टी का मकसद यही है कि बिहार वाले जातीय संतुलन और अभीष्ट पहुंच (टांगेंटेड आउटरीच) को यूपी में दोहराकर इस वोट आधार में संघ लगाई जाए। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व यूपी में एक ताकतवर ओबीसी चेहरे को संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप

पंजाब पुलिस ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को अंजाम दे सकते थे। पंजाब पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के दो आतंकवादियों का

‘हमारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीडिया संस्थान को दबाने की कोशिश बताया। संपादक प्रबोध जमवाल और अनुराधा भसीन ने सोशल मीडिया पर जारी किये गये एक संयुक्त बयान में कहा कि “जम्मू कार्यालय पर छापे और हमारे खिलाफ निराधार आरोप एक बार फिर हमें चुप कराने की कोशिश है।”

उन्होंने कहा कि 1954 में वेद भसीन द्वारा स्थापित कश्मीर टाइम्स ने हमेशा स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखा है। “हमने इस क्षेत्र की सफलताओं और विफलताओं दोनों को समान मेहनत से दर्ज किया है। हमने उन समुदायों को आवाज दी है, जिनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। जब दूसरे चुप रहे, तब हमने कठिन सवाल पूछे।”

संपादकों ने कहा कि भले ही 2021-22 में “लगातार एवं निर्मम रूप से निशाना बनाए जाने” के बाद, अखबार का प्रिंट संस्करण बंद कर दिया गया था, लेकिन कश्मीर टाइम्स अब भी डिजिटल रूप से काम कर रहा है और उसका सारा काम उसकी वेबसाइट पर सबके लिये उपलब्ध है।

संपादकों ने कहा कि भले ही 2021-22 में “लगातार एवं निर्मम रूप से निशाना बनाए जाने” के बाद, अखबार का प्रिंट संस्करण बंद कर दिया गया था, लेकिन कश्मीर टाइम्स अब भी डिजिटल रूप से काम कर रहा है और उसका सारा काम उसकी वेबसाइट पर सबके लिये उपलब्ध है।

में आगे लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस संभावना को इन रिपोर्टों से और बल मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूदा यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।

भाजपा के लिए बिहार से मिली सीख स्पष्ट है: जातीय गणित, खासकर कुर्मी और व्यापक ओबीसी समर्थन की एकजुटता राजनीतिक परिणामों को पूरी तरह बदल सकती है। जैसे-जैसे 2027 के यूपी चुनाव की उलटी गिनती शुरू होती है, पार्टी अपने “बिहार में खरे उतरें” फ़ॉर्मूले को यूपी में लागू करके एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाने के लिए कटिबद्ध दिखाई दे रही है, जो उसे एक निर्णायक जनदेश दिला सके।

एनकाउंटर किया गया है जिसमें दो आतंकी घायल हैं। घायल हुए आतंकियों को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

प. बंगाल में वामपंथी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नंदीग्राम में कार फैक्ट्री के लिए ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ उग्र आंदोलन करके उस जमे हुए सिस्टम को हिला दिया था।

जब वे सत्ता में आईं उन्हें पता था कि सिस्टम को कैसे मोड़ना है और गलत मतदाता सूचियों व वोटिंग में हेराफेरी के ज़रिये चुनावी जीत कैसे हासिल करनी है। अपने पहले कार्यकाल और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगे तगड़े झटके के बाद, उन्होंने एक ऐसा संरक्षण तंत्र खड़ा किया, जो पूरे बंगाल के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में फैला हुआ है।

तृणमूल के ज़मीनी कार्यकर्ता आसानी से पहचाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनका पूरा विवरण मिल जाता है। वे अक्सर बहुत पतली सोने की चेन और दाढ़िने हाथ में वैसा ही सोने का ब्रेसलैट पहनते हैं। बीच के स्तर के नेताओं के पास कई नई एसयूवी हैं और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के पास चमचमाती मोटरबाइकें।

वे तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं और अक्सर मामूली सी बात पर भी अपनी कार से आम लोगों पर हमला कर देते हैं। हाल में न्यू टाउन इलाके में कार लेकर जा रहे आम लोगों पर, कार का स्पर्श करते हुये गुजरने पर भी, इसी तरह के हमले हुए, यहाँ तक कि उन लोगों

को उनके अपने गेटेड परिसर के अंदर तक पीटा गया। कई मायनों में, आम लोग, जो सत्ता पक्ष से जुड़े नहीं हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। यही लोग बूथ पर कब्जा करते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और, आम तौर से, यह सुनिश्चित करते हैं कि विपक्ष के पक्ष में वोट पड़ ही न सके। नतीजतन, तृणमूल उम्मीदवार अक्सर रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। उदाहरण के लिए, ममता बनर्जी के मशहूर भतीजे ने देश में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड बनाया था। बंगाल में लोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से वोट डाल ही नहीं पाते, क्योंकि हर जगह तृणमूल के गुंडों का खतरा रहता है।

इसके अलावा, मृतक मतदाता सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी मदद हैं। ऐसे मृत मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर कई अनौपचारिक अनुमान और आँकड़े सामने आते रहते हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि लगभग 40 लाख मृत लोगों के नाम अभी भी जीवित मतदाता सूची में मौजूद हैं।

साथ ही, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा हैं। पहले लैपट फ्रंट के शासनकाल में इन्हें राज्य में घुसने में मदद दी जाती थी। तब ममता खुद इन अवैध प्रवासियों की कड़ी विरोधी थीं और संसद में यह मुद्दा कई बार उठाया था।

‘राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधानसभा से पारित विधेयक नहीं रोक सकते’

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक फैसले में गुरुवार को कहा कि राज्य के राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपालों को मंजूरी देने या न देने के लिए ज़रूरी समयसीमा तय नहीं कर सकता लेकिन राज्यपाल अनिश्चित काल तक किसी भी विधेयक को नहीं रोक सकते। हालांकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि लंबे समय तक, बिना किसी वजह के मंजूरी नहीं दिये जाने के मामलों में न्यायालय विधेयक की प्राथमिकता की जांच किए बिना एक निश्चित अवधि में फैसला करने का निर्देश देते हुए एक सीमित परमादेश रिट जारी कर सकते हैं।

थरूर ने अपनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक्स पर एक पोस्ट में थरूर ने प्रधानमंत्री के मंगलवार के भाषण की तारीफ करते हुए लिखा कि “यह आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रेरणा, दोनों का मिश्रण था, जो राष्ट्र को प्रगति के लिए बेचैन रहने का आ न करता है।” यह प्रशंसा सामान्य लग सकती थी, अगर प्रधानमंत्री ने उसी भाषण में यह बात भी न कही होती कि “10-15 साल पहले कांग्रेस में घुसे शहरी नक्सल और माओवादी ताकतों ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांंग्रेस बना दिया था, जिसने अब राष्ट्रीय हितों को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए देश के हितों को छोड़ दिया है।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा: “आज माओवादी मुस्लिम कांग्रेस देश की एकता के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है।” कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने थरूर की टिप्पणियों से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के भाषण में कोई प्रशंसीय बात नहीं लगी। कांग्रेस

लेकिन सत्ता में आने के बाद, उन्होंने इसी साधन को और परिष्कृत रूप देकर, इन अवैध प्रवासियों को अपना प्रमुख एवं बड़ा वोट बैंक बना लिया। देशभर की रिपोर्टें बताती हैं कि पकड़ गए अधिकतर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के पास पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ इलाकों में बने आधार और वोटर कार्ड पाए जाते हैं। नवीनतम अनौपचारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि इन लोगों में डर फैल गया है। न्यू टाउन क्षेत्र, जहाँ पहली बार आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या ज्यादा रहती है, वहाँ बहुत सी झोपड़ियां और कमरे तालाबंद मिले हैं और उनमें रहने वाले लोग वापस बांग्लादेश लौट गए हैं। मुसलमान एसआईआर प्रक्रिया के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं और एक समय ममता ने वादा किया था कि वे इस प्रक्रिया को रोक देंगी। अब वही लोग ममता के खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि वे इसे रोकने में नाकाम रही हैं।

इसी वजह से ममता अब एसआईआर प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकने के नए तरीके खोज रही हैं। हो सकता है कि इस प्रक्रिया को बीच में रोकने के लिए वे किसी बड़े पैमाने की कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी को भी बढ़ावा दे दें।

नीतीश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नड्डा, चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए के कई अन्य शीर्ष नेता उपस्थित थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुमार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

MARUTI SUZUKI

UPGRADE YOUR CELEBRATIONS WITH THE BALENO.

EFFECTIVE PRICE OF ₹ 5.67* LAKH

OFFER VALID TILL 30TH NOVEMBER

360 VIEW CAMERA

1st in Segment

HEAD UP DISPLAY

1st in Segment

6 AIRBAGS AS STANDARD*

IN-BUILT SUZUKI CONNECT

3 years 100 000 km WARRANTY* EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

NEXA SAFETY SHIELD

SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at 1800-200-6392 1800-102-6392

*Ex. showroom Price of ₹ 5.98 899 lakh, Consumer Offer (-) ₹ 15 000, Exchange Bonus (-) ₹ 15 000, Rural Offer (-) ₹ 2 100 = ₹ 5.67 lakh. The actual Effective Price mentioned may vary based on the customer's eligibility, profile, and applicable offers at the time of purchase. T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. For details on safety features, refer owner's manual. NEXA dealers exclusively provide all offers, which vary by model and variant and city. Offers are subject to availability of stock. *Offer valid on Baleno SIGMA VARIANT till 30th Nov 2025. Not valid on CNG variants. Maruti Suzuki may withdraw offers without notice. Features and accessories shown can vary by variant. *3 years or 1 00 000 km, whichever is earlier. Finance is at the sole discretion of financier and subject to customer profile.